वित्तीय वर्ष 2015–16 का बजट आलेख :–

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना धारा

इस योजनान्तर्गत कुल रू0 32500.00 लाख (तीन अरब पचीस करोड़ रूपये) मात्र प्रस्तावित राशि के आलोक में विभिन्न योजनाओं का संचालन संकाय कृषि, भूमि संरक्षण, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, गव्य विकास एवं अन्य हेतु प्रावधानित किया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में निम्नांकित अवयवों यथा उन्नत सिंचाई, कृषि यांत्रिकीकरण, मृदा स्वास्थ्य विकास, भूमि एवं जल संरक्षण, उद्यान विकास, समेकित कीट प्रबंधन, कृषक दक्षता विकास, अनुसंधान एवं विकास, एस.आर. आई. (SRI) तकनीक से धान, गेंहूँ उत्पादन, कस्टम हाइरिंग उपकरण का क्रय, शर्डस एवं दाल मिल का क्रय, मृदा जांच प्रयोगशाला का सृदृढ़ीकरण, बीज ग्राम के आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण, ग्रीन मैनूअरिंग का विकास, टूल कीट का वितरण, फसल विविधिकरण, दलहनी/तेलहनी फसलों का उत्पादन, सोया परिसंष्करण, क्लोज यूजर ग्रुप (बैअफ) का निर्माण, फ्रूट प्रोसेसिंग, प्रेशिजन फार्मिग, माइक्रोन्यूट्रियन्ट फार्टिलाईजर कीट का वितरण केंचुआ खाद उत्पादन, संकर बीज का वितरण परती भूमि का विकास, केज कल्चर दूधारू मवेशी का वितरण, द्वितीय हरित क्रांति, मोटे अनाजों की खेती, कृषि स्नातकों की सेवा, फार्मस फिल्ड स्कूल, सूकर विकास, बकरी पालन मवेशी का नस्ल सुधार, DASEI, बीजोपचार इत्यादि कार्यक्रमों पर व्यय राज्य स्तरीय गठित सैक्सनिंग कमिटि की अनुशंसा के आलोक में किया जायेगा। योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यक्रमों में राज्य सरकार के अतिरिक्त कृषकों के अंशदान के साथ योजना कार्यान्वयन किया जायेगा।

2. बीज विनिमय एवं वितरण कार्यकम

इस योजनान्तर्गत कुल रू0 **6500.00** लाख (पैसठ करोड़ सतासी लाख रूपये) मात्र के संदर्भ में खरीफ मौसम में धान, मूँग, उरद, अरहर एवं अन्य फसल तथा रबी मौसम में मसूर, चना, सरसो एवं अन्य फसल का बीज झारखण्ड बीज वितरण नीति 2011 के आलोक में 50 प्रतिशत अनुदान पर 33 प्रति ात SRR लक्ष्य की प्राप्ति करने हेतु ससमय कृषकों को विक्रय किया जायेगा। इस योजनान्तर्गत सरकारी संस्थानों द्वारा आपूरित HYV एवं संकर किस्म के बीजों तथा राज्य अन्तर्गत कार्यरत बीज ग्राम द्वारा उत्पादित बीजों को 50% अनुदान पर एवं विशेष परिस्थिति में 90% अनुदान तक कृषकों को उपलब्ध कराया जाएगा। केन्द्र प्रायोजित योजना यथा BGREI, NFSM, A3P एवं NMOOP आदि योजनाओं में भी निर्धारित अनुदान पर कृषकों को बीज उपलब्ध कराया जाएगा। अनुदान की राशि केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये निर्देश के अन्तर्गत रखी जाएगी। RKVY योजनाओं के अन्तर्गत संचालित योजनाओं यथा SRI, SWI, दलहन उत्पादन योजनाओं में भी कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा। राज्य में बीजोत्पादन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने हेतु बीज ग्राम द्वारा क्रय किये जाने वाले राज्य के लिए अनुशंसित 10 वर्ष के कम अवधि के प्रभेदो के आधार बीज पर 50% अनुदान आपूर्तिकर्त्ता संस्थान को दिया जाएगा।

3. बीज उत्पादन की योजना

प्रस्तावित योजना का कुल बजट राशि रू0 **250.00** लाख (दो करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र प्रस्तावित है। इस योजनान्तर्गत सरकार के विभिन्न प्रक्षेत्रों में खरीफ एवं रबी मौसम में धान, मूँग, अरहर, उरद, मक्का, गेहूँ, सरसों, मसूर, चना इत्यादि फसलों का आधार से प्रमाणित बीज उत्पादन किया जाएगा। उपरोक्त बीजोत्पादन का कार्य लगभग 900 हे0 में किया जाएगा। उत्पादित प्रमाणित बीज का वितरण वर्ष 2016–17 में सरकार द्वारा निर्धारित अनुदानित दर पर कृषकों के बीच विक्रय किया जायेगा जिससे आ ातीत SRR प्राप्त करने में सुविधा होगी। इस योजनान्तर्गत आधार बीज का क्रय विभिन्न संस्थाओं यथा बिरसा कृषि वि वविद्यालय, एन.एस.सी., एस.एफ.सी.आई एवं अन्य ख्याति प्राप्त एजेंसियों से किया जाएगा। बीज उत्पादन की योजना अंतर्गत राज्य के विभिन्न राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों में खरीफ एवं रब्बी फसलों हेतु आधार बीज एवं प्रमाणित बीज का उत्पादन लगभग 500 हे0 में किया जायेगा। बीज गुणन प्रक्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के रख–रखाव, मराम्मति, ईंधन आदि के लिए व्यय किया जाएगा।

4 कृषि मेला कर्मशाला एवं प्रदर्शनी

इस योजनान्तर्गत कुल रू0 **276.00** लाख (दो करोड़ छेहत्तर लाख रूपये) मात्र रा ि ा का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु किया गया है। प्रस्तावित योजनान्तर्गत राज्य स्तर /प्रमण्डल स्तर एवं जिला स्तर पर मेला तथा प्रदर्शनी का आयोजन होगा। राज्य स्तर /प्रमण्डल स्तर एवं जिला स्तर पर कार्यशाला का

आयोजन किया जाएगा। प्रखण्ड स्तर पर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। साथ ही विभाग में चल रहे योजनाओं को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए टेलीविजन, रेडियो, होर्डिंग, फ्लैक्स आदि का उपयोग किया जाएगा तथा अन्य प्रकार के मुद्रित सामग्रियों का वितरण किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर योजनाओं की झाँकी प्रस्तुत की जाएगी।

5 प्रशिक्षण, भ्रमण, प्रोत्साहन पुरस्कार प्रचार-प्रसार इत्यादि की योजना

इस योजनान्तर्गत कुल रू0 612.00 लाख (छः करोड़ बारह लाख रूपये) मात्र रा ि ा का प्रस्ताव वर्ष 2015–16 हेतु किया गया है। इस योजनान्तर्गत राज्य में VLW को VLW नियमावली 1958, 1987 एवं 1992 के अनुसार प्रशिक्षण दी जाएगी। यह 406 VLW को VLW नियमावली 1958 एवं 1987 के अन्तर्गत एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा 19 नये VLW को VLW नियमावली 1992 के अनुसार छः माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही नियमानुसार VLW को अन्तर्राज्य यात्रा कराया जाएगा। योजनाओं के प्रचार– प्रसार एवं सेमिनार आयोजित किए जाएगें। जिलों में श्रेष्ठ काम करने वाले पदाधिकारियों को राज्य स्तर पर चयन कर पुरस्कृत किया जाएगा।

6 **झारखण्ड कृषि कार्ड योजना**

इस योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 हेतु रू0 500.00 लाख (पाँच करोड़ रूपये) मात्र राशि का प्रस्ताव है। राज्य के सभी जिलों में उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप कुछ प्रखण्ड को चयनित करके यह योजना क्रियान्वित की जाएगी। इसके अन्तर्गत कृषकों को स्मार्ट झारखण्ड कृषि कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।

7 बीज प्रमाणन एजेंसी को सहाय्य अनुदान

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु कुल रू0 120.00 लाख (एक करोड़ बीस लाख रूपये) मात्र राशि का प्रावधान किया गया है। इस योजनान्तर्गत राशि का व्यय वेतन, कार्यालय व्यय, वाहन हेतु ईंधन, मरम्मति, निर्माण आधारभूत संसाधनों का क्रय तथा एजेंसी हेतु अनुदान पर व्यय किया जाएगा। इस एजेंसी के द्वारा राज्य में प्रजनक बीज से आधार बीज का उत्पादन एवं आधार बीज से उत्पादित किये गए प्रमाणित बीजों का प्रमाणीकरण कार्य किया जाएगा।

8 राज्य बीज निगम को अनुदान

इस योजनान्तर्गत कुल रू0 200.00 लाख (दो करोड़ रूपये) मात्र राशि का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु किया गया है। इस योजनान्तर्गत राज्य बीज निगम को चलाने हेतु अनुदान का प्रावधान किया गया है ताकि झारखण्ड राज्य को प्रत्येक वर्ष किसानों को विभिन्न फसलों का बीज अनुदान पर वितरण करने हेतु अन्य एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता है। बीज निगम की स्थापना से विभिन्न फसलों का प्रमाणित बीज राज्य में हीं उपलब्ध हो पाएगा तथा अन्य एजेंसियों पर कम से कम निर्भर रहना पड़ेगा।

9 उर्वरक संग्रहण हेतु सहाय्य अनुदान

इस योजनान्तर्गत कुल रू0 100.00 लाख (एक करोड़ रूपये) मात्र राशि का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु किया गया है। इस योजनान्तर्गत खरीफ एवं रबी मौसम में उर्वरकों के अभाव से बचने हेतु पूर्व में ही उर्वरक का भंडारण कर लिया जाएगा ताकि ससमय कृषकों को उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके।

10 गन्ना के विकास की योजना

इस योजनान्तर्गत कुल रू0 640.00 लाख (छः करोड़ चालिस लाख रूपये) मात्र राशि का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु किया गया है। इस योजनान्तर्गत राज्य में अनुदान पर ईख बीज वितरण, नई तकनीक के प्रसार हेतु कृषक प्रशिक्षण एवं प्रत्यक्षण तथा गुड़ बनाने के प्रोत्साहन के लिए यांत्रिकीकरण अन्तर्गत अनुदान पर यंत्र एवं उपकरण के वितरण का कार्य का प्रावधान है। कृषकों एवं पदाधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु अन्तर्राज्यीय परिभ्रमण एवं पारदर्शन कराया जाएगा। राज्य में 7000हे0

पर इसकी खेती करायी जाएगी जिसमें से 10000 क्वीं0 प्रमाणित बीज का क्रय बी0ए0यू0 से किया जाएगा। इस परियोजना हेतु 300हे0 में प्रत्यक्षण का कार्य किया जाएगा। यह योजना क्रियान्वित करने के लिए कर्मियों का अनुबंध पर रखा जाएगा। साथ ही मुख्यालय के सुदृढ़ीकरण एवं सुसज्जीकरण का कार्य किया जाएगा।

11 विभागीय आधारभूत संरचना एवं सुविधाओं का विकास

bl ;kstukUrxZr foÙkh; o"kZ 2015&16 gsrq dqy :0 2430-00 yk[k ¼pksfcl djksM+ rhl yk[k :i;s½ ek= jkf'k dk izko/kku fd;k x;k gSA d`f"k foHkkx ds vk/kkjHkwr lajpukvksa ds vUrxZr la;qDr ftyk d`f"k dk;kZy; Hkouksa dk fuekZ.k] pgjfnokjh dk fuekZ.k] lqlTthdj.k rFkk j[k&j[kko dk fØ;kUo;u ,oa vuqJo.k gsrq lqfo/kkvksa dk fodkl fd;k tk,xkA d`f"k funs'kd] >kj[k.M] jk¡ph ds fy, ,d ubZ xkM+h@okgu dk Ø; fd;k tk,xkA

12 मोटे अनाज के विकास की योजना

यह एक नई राज्य योजना है। वर्ष 2015–16 में इस योजनान्तर्गत राज्य के कुल 09 जिलों में मोटे अनाज यथा रागी, गुदली एवं ज्वार की योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। जिसमें से मडुआ एवं गुन्दली का 100 हे0 में बीजोत्पादन और राँची, गुमला, पलामू, गढ़वा, सिमडेगा, खूँटी, रामगढ़ एवं हजारीबाग में 500 हे0, गुन्दली का राँची, गुमला, सिमडेगा एवं खूँटी में 200 हे0 तथा पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में ज्वार का 1000हे0 में प्रत्यक्षण कार्य किया जाएगा। राज्य के 24 जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। राँची, गुमला, पलामू एवं हजारीबाग जिलों में प्रोसेंसिंग यूनिट द्वारा कार्य किया जाएगा। इस योजना में व्यय हेतु कुल रू0 421.00 (चार करोड़ ईक्कीस लाख रूपये) मात्र का प्रावधान किया गया है।

13 मृदा सुधार प्रबंधन की योजना

वर्ष 2015–16 में इस योजनान्तर्गत राज्य मृदा सुधार हेतु गठित उच्च स्तरीय कमिटि की अनुशंसा के आधार पर ऊपरी खेत में ब्राउन मेन्युरिंग एवं निचले खेत में ग्रीन मेन्यूरिंग की जायगी। इस क्रम में निचले तथा मध्यम खेतों के लिए ढ़ैंचा तथा ऊपरी खेत के लिए सनई का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही मृदा सुधार हेतु सनई के बीज डॉलोमाईट/ लाईमस्टॉन लिग्नाईट ह्यूमेट, बेसिक स्लैग मान्यता प्राप्त संस्थान से मानकता के आधार पर भूमि की उपयोगिता एवं आवश्यकता के अनुसार विहित प्रावधानों के अन्तर्गत क्रय किया जाएगा। सिंगल सुपर फास्फेट, बायो फर्टिलाईजर एवं आर्गेनिक मोन्योर का प्रत्यक्षण के साथ प्रोत्साहन किया जाएगा। मृदा गुणवत्ता में सुधार एवं मृदा सम्वर्धन हेतु जैविक पदार्थ यथा कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट एफ वाई एम, जीवाणु खाद एवं आवश्यक रसायन आदि का प्रयोग किया जाएगा। इसके अन्तर्गत Soil Health Card का क्रियान्वयन किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा 190 रू0 प्रति कार्ड राशि प्रस्तावित हैं। कार्ड के निर्धारित लागत के अनुसार शेष राशि एवं अधिकतम 190 रू0 जो दोनों में से कम हो का वहन इस योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। यह योजना भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा–निर्देश के अनुसार क्रियान्वित की जाएगी। यह योजना कृषि निदेशालय, झारखण्ड, राँची के मार्ग निर्देश के अनुसार क्रियान्वित होगी। इस योजना में व्यय हेतु कुल रू0 2100.00 (ईक्कीस करोड़ रूपये) मात्र का प्रावधान किया गया है।

14 माप–तौल का सुदृढ़ीकरण एवं मानकीकरण

इस योजनान्तर्गत कुल रू0 63.00 लाख (तिरसठ लाख रूपये) मात्र राशि का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु किया गया है। इस योजनान्तर्गत माप–तौल उपकरणों के क्रय, मोबाईल कीट के संचालन हेतु चालक एवं खलासी का वेतन ईंधन तथा इसके रख–रखाव आदि हेतु राशि का व्यय किया जाएगा।

15 ETC हेहल में कृषक एवं कृषि पदाधिकारी का प्रशिक्षण एवं रख–रखाव की योजना

यह एक नई राज्य योजना है। इस वित्तीय वर्ष 2015–16 में ETC हेहल में कृषक एवं कृषि पदाधिकारियों/ कर्मचारियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा । इसके अन्तर्गत ETC हेहल का रख–रखाव एवं सुसज्जीकरण का

कार्य पर व्यय किया जाएगा। वर्ष 2015–16 में इस योजनान्तर्गत व्यय हेतु कुल रू0 125.00 (एक करोड़ पच्चीस लाख रूपये) मात्र का प्रावधान किया गया है।

16 **परम्परागत कृषि विकास की योजना**

यह एक नई योजना है। इस वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य के 10 जिलों में यथा खूँटी, गुमला, रामगढ़, गिरिडीह, पाकुड़, देवघर, लातेहार, गढ़वा, सरायकेला एवं चाईबासा जिलों में यह योजना क्रियान्वित होगी। इसके अन्तर्गत प्रति जिला 05 कलस्टर होंगें। प्रति कलस्टर 50 एकड़ प्रति 50 कृषक के लिए चयनित होंगें। इस योजनान्तर्गत जैविक कृषि के संकुल गठन हेतु बैठक एवं परिचर्या, एक्सपोजन विजिट, जैविक खेती पर प्रशिक्षण संकुल सदस्यों का चयन आदि कार्य, पी0जी0एस0 सर्टिफिकेशन हेतु प्रशिक्षण, मिट्टी नमूना संग्रहण एवं जाँच, प्रोसेसिंग डोक्यूमेंटेशन, खेत का निरीक्षण, प्रमाणीकरण हेतु प्रशासनिक व्यय, जैविक खेती में रूपान्तरण, जैविक बीज प्राप्ति या जैविक नर्सरी, पारम्पारिक जैविक उपादान जैसे – बीजामृत, पंचगव्य आदि का निर्माण, जैविक नेत्रजन उत्पादन हेतु उपयुक्त पौधों का रोपन, जैविक तत्व का उत्पादन की स्थापना, जैविक तरल जीवाणु खादों का क्रय, तरल जैविक कीटनाशी का क्रय, स्फूर रिच जैविक खाद का क्रय, वर्मीकम्पोस्ट इकाई का निर्माण एवं कृषि यंत्रों को किराये पर लेने संबंधी कार्य किये जाएगें। इस योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार होगा। वर्ष 2015–16 में इस योजनान्तर्गत व्यय हेतु कुल रू0 355.00 (तीन करोड़ पचपन लाख रूपये) मात्र का प्रावधान किया गया है।

17 **NMSA योजना**

इस योजनान्तर्गत Rainfed Area Development (वर्षाश्रित क्षेत्र का विकास) कृषि में जल प्रबंधन (OFWN) मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (SHM) जलवायु परिवर्तन में टिकाउ खेती, अनुश्रवण, मॉडलिंग एवं नेटवर्किंग (CCSAMMN) से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन केन्द्र सरकार के स्वीकृति के उपरान्त (SLC) राज्य स्तरीय समिति की अनुसंशा पर किया जाएगा। वर्ष 2015–16 में इस योजनान्तर्गत व्यय हेतु कुल रू0 12536.00 (एक अरब पच्चीस करोड़ छत्तीस लाख रूपये) मात्र का प्रावधान किया गया है। इससे कृषि उत्पादकता एवं तीब्रता में वृद्धि होगी।

18 **नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयल पाम की योजना**

यह केन्द्र प्रायोजित योजना है इसके अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश का 75:25 के अनुपात में राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अन्तर्गत बीज अवयव एवं उत्पादक यंत्रों का प्रयोग किया जाएगा। बीज अवयव में ब्रीडर बीज/संकर बीज का क्रय, आधार बीज एवं प्रमाणित बीजों का उत्पादन, प्रमाणित बीज, संकर बीज एवं मिनीकिट का वितरण, आधारभूत बीज विकास एवं विशिष्ट लक्षित बीज प्रभेद का उत्पादन आदि का क्रियान्वयन किया जाएगा। उत्पादक यंत्रों के अधीन फुट ऑरेटेड स्प्रेयर एवं इकोफ्रेडली लाईट ट्रैप एवं सीड ड्रम आदि, प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल/कीटनाशक/कवकनाशक/ बायोपेस्टीसाईड/ खरपतवारनाशक/बायोएजेण्ट एवं माइक्रोन्यूट्रीएण्ड, जिप्सम, पायोराईट, डोलोमाइट आदि का वितरण, राइजोबियम कल्चर, एजेटेबैक्टर आदि का आपूर्ति, इम्प्रुभ्ड फार्म इम्पलीमेंटस, रोटोवेटर, सीड ड्रील आदि कृषि यंत्रों का वितरण, स्प्रींक्लर सेट/स्नेगन इत्यादि का वितरण, पाईप फॉर कैरिंग वाटर फ्राम सोर्स टू द फिल्ड एवं सीड स्टोरेज बिन आदि का वितरण तथा प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण का क्रियान्वयन किया जाएगा। वर्ष 2015–16 में इस योजनान्तर्गत व्यय हेतु कुल रू0 273.00 (दो करोड़ तिहत्तर लाख रूपये) मात्र का प्रावधान किया गया है।

19 **सबमिशन ऑन सीड्स एण्ड प्लानिंग मर्टियल की योजना**

यह एक नई योजना है। इसके अन्तर्गत गुणवतायुक्त बीज का सुदृढ़ीकरण ग्रो आउट टेस्ट फार्म/ग्रीन हाउस सुविधा का सुदढ़ीकरण प्रमाणित बीज एजेन्सी को सहायता, बीजोपचार, बीज फार्म का सुदृढ़ीकरण, बीज ग्राम कार्यक्रम, बीज ग्राम द्वारा प्रमाणित बीज, बीज प्रसंस्करण संयंत्र, बीज गोदाम, ब्रीडर बीज के अनुरक्षण के लिए सहायता, नेशनल सीड रिजर्व एवं कृषि में बायोप्रोद्योगिकी का आवेदन योजना का क्रियान्वयन होगा। वर्ष 2015–16 में इस योजनान्तर्गत व्यय हेतु कुल रू0 2088.00 (बीस करोड़ अठासी लाख रूपये) मात्र का प्रावधान किया गया है।